ओआरजी-2023-24-000039
दिनांक: 1 जून 2024

सार्वजनिक टिप्पणियां साझा करने हेतु नोटिस

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), 2024 के लिए मसौदा

भारत के जैविक उत्पादों का निर्यात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के दायरे में आता है। एनपीओपी की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इसे वर्ष 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियमन (एफटीडीआर) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्यात के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

घरेलू बाजार के लिए, एनपीओपी को खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 के तहत मान्यता दी गई है।

एनपीओपी दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान (सातवें) संस्करण को 2014 में महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

एनपीओपी के वर्तमान संस्करण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया है। सरलीकरण के लिए, एनपीओपी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एक अलग प्रक्रिया मैनुअल भी विकसित की गई है।

एनपीओपी 2024 के आठवें संस्करण को अंतिम रूप देने से पूर्व हितधारकों की टिप्पणियों/सुझाव को साझा करने की मांग की जाती है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), 2024 के मसौदे पर टिप्पणियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं:

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7mdE5X8zOLbXnRWA-HVfAOwsEQ3qRzYNa4Pv6zKHRNBKaw/viewform
- https://apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/NPOP_Eight_Edition2024.pdf
  (एनपीओपी 2024 का आंठवा संस्करण डाउनलोड करने के लिए लिंक)
- https://apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/NPOP_PROCEDURES_2024.pdf
  (एनपीओपी प्रक्रियाएं 2024 डाउनलोड करने के लिए लिंक)

महाप्रबंधक (जैविक)
एपीडा, नई दिल्ली